

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

| अपील संख्या | रजि0 नम्बर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|-------------|------------|-------------|---------------|
| 12/70/2019  | 2019/00148 | 07-08-2019  | 25-02-2021    |

01- गोपाल सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम मुबारिकपुर  
तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0। —अपीलांट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर। —रैस्पौ0

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़  
दिनांक 23.05.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0  
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 116/2018

उपस्थित:-

01-श्री जंगीर सिंह

—वकील अपीलाण्ट

—निर्णय:-

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 23.05.2018 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम मुबारिकपुर की सरकारी बंजड2 भूमि के आराजी खसरा नम्बर 2271 रकबा 0.90 है0 में से 0.40 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम मुबारिकपुर की सरकारी बंजड2 भूमि के आराजी खसरा नम्बर 2271 रकबा 0.90 है0 में से 0.40 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 27.02.2018 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह की सजा व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट को बेदखल नहीं किया गया है तथा किसी प्रकार की सजा से आरोपित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.05.2018 अपास्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 23.05.2018 के विरुद्ध दिनांक 07.08.2019 को पेश किया। —

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज0)

P.T.O.


(2)


प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकरण किया एवं बहस पर मनन किया। तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 27.02.2020 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमण नहीं होना बताया है एवं साथ ही अपीलांट को पुनः अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबंद किया गया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांट को आरोपित तीन माह की सजा से मुक्त किया जाता है तथा अपीलांट को दण्ड स्वरूप पैनल्टी यथावत रखी जाती है तथा तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलांट का वर्तमान में अतिक्रमण यथावत पाया जाता है अथवा अपीलांट उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण करता है तो अपीलांट के विरुद्ध धारा 91(6) के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25-02-2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
25/02/2021  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
(प्रथम) अलवर (राज०)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)